

आबकारी नीति विषयक नियमावली-2025 (त्रिवर्षीय के अंतर्गत)
उत्तराखण्ड आबकारी देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के आवंटन हेतु आवेदन पत्र
(वर्ष 2026-27 व 2027-28 द्विवर्षीय हेतु)

आवेदक हेतु शपथ पत्र
(100 रुपये के Non Judicial Stamp पर)

आवेदक का नोटरी से
प्रमाणित नवीनतम
फोटोग्राफ प्रस्तुत
करना होगा

1. यह कि शपथकर्ता..... पुत्र/पुत्री/पत्नी.....
आयु..... अनुज्ञापन संख्या /देशी/विदेशी मदिरा
दुकान जनपद.....का वर्ष 2025-26 हेतु
अनुज्ञापी है।

पता वर्तमान निवास

मकान नम्बर.....नगर/मौहल्ला/ग्राम/तोक.....
.....थाना/पटवारी पट्टी.....तहसील/उपतहसील.....
.....जिला.....

पता स्थाई निवास

मकान नम्बर.....नगर/मौहल्ला/ग्राम/तोक.....
.....थाना/पटवारी पट्टी.....तहसील/उपतहसील.....
.....जिला.....शपथ पूर्वक अभिकथन करता/करती हूँ कि :-

2. यह कि शपथकर्ता ने सी0एल0-5सी (देशी शराब) एवं एफ0एल0-5डी (विदेशी मदिरा) की फुटकर बिक्री की दुकानजिला..... के अनुज्ञापन वर्ष 2026-27 (दिनांक 01.04.2026 से 31.03.2027 तक) तथा अनुज्ञापन वर्ष 2027-28 (दिनांक 01.04.2027 से 31.03.2028 तक) हेतु आवंटन कराने हेतु उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025 में दी गयी शर्तों के आधार पर सहमत हूँ।
3. यह कि शपथकर्ता ने लाईसेन्स की शर्तों और प्रतिबन्धों को पूरी तरह से समझ लिया है और यदि आवेदित दुकान उसे आवंटित की जाती है तो वह नियमों, अनुज्ञापन की शर्तों और लाईसेन्स प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले अन्य निर्देशों का पालन करेगा/करेगी।
4. उक्त अनुज्ञापन के लिये शपथकर्ता आवश्यक सभी अर्हतायें रखता है।
5. यह कि शपथकर्ता भारत का नागरिक है/उत्तराखण्ड का स्थाई निवासी है। आवेदक तहसील..... जिला.....का स्थाई निवासी है।
6. यह कि शपथकर्ता की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक है।
7. यह कि शपथकर्ता पर न तो सरकारी अथवा लोक देयों का बकाया है, न ही उनका नाम कालीसूची में है और न ही उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 (उत्तराखण्ड में उपान्तरित एवं अनुकूलित) के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत उन्हें आबकारी लाईसेन्स धारण करने से विवर्जित किया गया है।

8. यह कि शपथकर्ता व उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उन्हें उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 (उत्तराखण्ड में उपान्तरित एवं अनुकूलित) अथवा स्वापक एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 अथवा तत्समय लागू किसी अन्य विधि अथवा संज्ञेय और गैर जमानती अपराध में दोषी नहीं पाया गया है।
9. यह कि शपथकर्ता को यदि देशी/विदेशी मदिरा दुकान आवंटित की जाती है तो शपथकर्ता द्वारा आबकारी नीति विषयक नियमावली-2025 में दिये गये समयान्तर्गत वांछित प्रमाण पत्र जमा कर देगा, यदि शपथकर्ता उक्त प्रमाण पत्र निर्धारित दिवस के भीतर जमा नहीं कर पाया तो शपथकर्ता के जोखिम पर दुकान का आवंटन निरस्त किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होगी।
10. शपथकर्ता द्वारा मदिरा दुकान के आवंटन के लिए प्रस्तुत किये जाने वाले प्रपत्र हैसियत, स्थाई निवास, चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आई०टी०आर० इत्यादि विवाद रहित है।
11. यह कि शपथकर्ता अपने उपरोक्त अनुज्ञापन का वर्ष 2026-27 व वर्ष 2027-28 हेतु आवंटन कराना चाहता है। यह कि शपथकर्ता के पास समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली 1968 (उत्तराखण्ड में उपान्तरित एवं अनुकूलित) के प्राविधानों व आबकारी नीति विषयक नियमावली-2025 (त्रिवर्षीय) एवं आबकारी आयुक्त द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार दुकान खोलने के लिये उपयुक्त परिसर है/किराये पर उपयुक्त परिसर लेने की व्यवस्था है (जो लागू न हो उसे काट दिया जाय) प्रस्तावित परिसर किसी विधि या नियमों के प्रतिकूल नहीं बनाया गया है एवं रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट के प्राविधानों के अनुरूप है।
12. यह कि शपथकर्ता द्वारा किसी ऐसे विक्रेता अथवा प्रतिनिधि जिसकी अपराधिक पृष्ठभूमि हो अथवा जो संकामक या छूत की बीमारी से ग्रस्त हो अथवा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो को नियुक्त नहीं करेगा।
13. यह कि शपथकर्ता द्वारा दुकान आवंटन के बाद पावर आफ अटार्नी के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति को दुकान संचालित करने हेतु अधिकृत नहीं करेगा।
14. यह कि शपथकर्ता ने पात्रता से सम्बंधित समस्त दस्तावेज कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी जनपद..... में जमा करा दिए हैं।
15. यह कि शपथकर्ता की उपरोक्त दुकान का वर्ष 2026-27 व वर्ष 2027-28 के समस्त राजस्व को जमा कराने के लिए प्रतिबद्ध है, आबकारी नीति 2025 के नियमों के अनुकूल अवशेष राजस्व जमा नहीं कराने की परिस्थिति में दुकान का निरस्तीकरण किये जाने में उसे कोई आपत्ति नहीं है।
16. यह कि शपथकर्ता वित्तीय वर्ष 2026-27 व वर्ष 2027-28 में निर्धारित राजस्व पर दुकान संचालन हेतु सहमत है और आबकारी नीति विषयक नियमावली-2025 अधिसूचना संख्या: 176/XXIII-1/2025-04(01)/2025 देहरादून दिनांक: 05, मार्च, 2025 के अनुपालन में पूर्ण निष्ठा से दुकान/अनुज्ञापन का संचालन करेगा और नियमों के उल्लंघन एवं राजस्व सम्बन्धित अनियमितता नहीं करेगा जिससे कि अनुज्ञापन निरस्तीकरण की स्थिति उत्पन्न हो।
17. यह कि नियमानुसार निर्धारित समयसीमा में राजस्व/एम०जी०डी०, प्रतिभूतियों को समय से जमा नहीं करने के कारण दुकान निरस्त होने की दशा में जब्त कर ली जाए।
18. यह कि शपथकर्ता संयुक्त प्रांत अधिनियम-1910 (यथा अनुकूलित एवं उपान्तरित उत्तराखण्ड राज्य) एवं सम्बन्धित नियमों, आदेशों तथा आबकारी नीति वर्ष 2025 को भली भाँति समझ लिया है। शपथकर्ता आबकारी विभाग द्वारा समय-समय पर दिए गए आदेशों/निर्देशों का पालन करेगा। शपथकर्ता वर्ष 2026-27 व वर्ष 2027-28 में फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन नियमावली का पालन करेगा और नियमावली के किसी प्राविधान का उल्लंघन पाए जाने पर उसका अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जाए।
19. यह कि शपथकर्ता वर्ष 2026-27 व वर्ष 2027-28 हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क (प्रोसेसिंग फीस) निर्धारित वार्षिक राजस्व की जानकारी भली-भाँति प्राप्त कर ली है तथा उक्त के सम्बन्ध में जारी अद्यतन निर्देशों का पालन करेगा।
20. यह कि शपथकर्ता अपने बैंक खाते से समस्त राजस्व जमा करेगा और भविष्य में यदि कोई त्रुटि के कारण भुगतान (यदि कोई हो तो) वह उक्त बैंक खाते में ही प्राप्त करने पर सहमत है।

21. यह कि शपथकर्ता आवंटन करने के उपरांत आवंटन की औपचारिकताओं को निर्धारित समय में पूर्ण करेगा अन्यथा की स्थिति में दुकान का आवंटन निरस्त कर दिया जाए।

उपरोक्त क्रमांक 1 से लेकर 21 तक दी गयी सूचनाएँ सही एवं सत्य है, मेरे द्वारा कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।

(जो लागू न हो, काट दिया जाये)

स्थान.....

दिनांक.....समय.....

शपथकर्ता

पब्लिक नोटेरी का नाम और मोहर

स्थान.....दिनांक.....

आबकारी नीति विषयक नियमावली-2025 (त्रिवर्षीय के अंतर्गत)
उत्तराखण्ड आबकारी देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के आवंटन हेतु आवेदन पत्र
(वर्ष 2026-27 व 2027-28 द्विवर्षीय हेतु)

सह आवेदक हेतु शपथ पत्र
(100 रुपये के Non Judicial Stamp पर)

सह आवेदक का
नोटरी से प्रमाणित
नवीनतम फोटोग्राफ
प्रस्तुत करना होगा

1. यह कि शपथकर्ता..... पुत्र/पुत्री/पत्नी.....
आयु..... अनुज्ञापन संख्या /देशी/विदेशी मदिरा
दुकान जनपद.....का वर्ष 2025-26 हेतु
अनुज्ञापनी है।

पता वर्तमान निवास

मकान नम्बर.....नगर/मौहल्ला/ग्राम/तोक.....
.....थाना/पटवारी पट्टी.....तहसील/उपतहसील.....
.....जिला.....

पता स्थाई निवास

मकान नम्बर.....नगर/मौहल्ला/ग्राम/तोक.....
.....थाना/पटवारी पट्टी.....तहसील/उपतहसील.....
.....जिला.....शपथ पूर्वक अभिकथन करता/करती हूँ कि :-

2. यह कि शपथकर्ता ने सी0एल0-5सी (देशी शराब) एवं एफ0एल0-5डी (विदेशी मदिरा) की फुटकर बिक्री की दुकानजिला..... के अनुज्ञापन वर्ष 2026-27 (दिनांक 01.04.2026 से 31.03.2027 तक) तथा अनुज्ञापन वर्ष 2027-28 (दिनांक 01.04.2027 से 31.03.2028 तक) हेतु आवंटन कराने हेतु उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025 में दी गयी शर्तों के आधार पर सहमत हूँ।
3. यह कि शपथकर्ता ने लाईसेन्स की शर्तों और प्रतिबन्धों को पूरी तरह से समझ लिया है और यदि आवेदित दुकान उसे आवंटित की जाती है तो वह नियमों, अनुज्ञापन की शर्तों और लाईसेन्स प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले अन्य निर्देशों का पालन करेगा/करेगी।
4. उक्त अनुज्ञापन के लिये शपथकर्ता आवश्यक सभी अर्हतायें रखता है।
यह कि शपथकर्ता भारत का नागरिक है/उत्तराखण्ड का स्थाई निवासी है। आवेदक तहसील.....
.....जिला.....का स्थाई निवासी है।
5. यह कि शपथकर्ता की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक है।
6. यह कि शपथकर्ता पर न तो सरकारी अथवा लोक देयों का बकाया है, न ही उनका नाम कालीसूची में है और न ही उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम-1910 (उत्तराखण्ड में उपान्तरित एवं अनुकूलित) के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत उन्हें आबकारी लाईसेन्स धारण करने से विवर्जित किया गया है।

7. यह कि शपथकर्ता व उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उन्हें उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम-1910 (उत्तराखण्ड में उपान्तरित एवं अनुकूलित) अथवा स्वापक एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम-1985 अथवा तत्समय लागू किसी अन्य विधि अथवा संज्ञेय और गैर जमानती अपराध में दोषी नहीं पाया गया है।
8. यह कि शपथकर्ता को यदि देशी/विदेशी मदिरा दुकान आवंटित की जाती है तो शपथकर्ता द्वारा आबकारी नीति विषयक नियमावली-2025 (त्रिवर्षीय) में दिये गये समयान्तर्गत वांछित प्रमाण पत्र जमा कर देगा, यदि शपथकर्ता उक्त प्रमाण पत्र निर्धारित दिवस के भीतर जमा नहीं कर पाया तो शपथकर्ता के जोखिम पर दुकान का आवंटन निरस्त किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होगी।
9. शपथकर्ता द्वारा मदिरा दुकान के आवंटन के लिए प्रस्तुत किये जाने वाले प्रपत्र हैसियत, स्थाई निवास, चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आई०टी०आर० इत्यादि विवाद रहित है।
10. यह कि शपथकर्ता अपने उपरोक्त अनुज्ञापन का वर्ष 2026-27 व वर्ष 2027-28 हेतु आवंटन कराना चाहता है। यह कि शपथकर्ता के पास समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली 1968 (उत्तराखण्ड में उपान्तरित एवं अनुकूलित) के प्राविधानों व आबकारी नीति विषयक नियमावली-2025 (त्रिवर्षीय) एवं आबकारी आयुक्त द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार दुकान खोलने के लिये उपयुक्त परिसर है/किराये पर उपयुक्त परिसर लेने की व्यवस्था है (जो लागू न हो उसे काट दिया जाय) प्रस्तावित परिसर किसी विधि या नियमों के प्रतिकूल नहीं बनाया गया है एवं रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट के प्राविधानों के अनुरूप है।
11. यह कि शपथकर्ता द्वारा किसी ऐसे विक्रेता अथवा प्रतिनिधि जिसकी अपराधिक पृष्ठभूमि हो अथवा जो संकामक या छूत की बीमारी से ग्रस्त हो अथवा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो को नियुक्त नहीं करेगा।
12. यह कि शपथकर्ता द्वारा दुकान आवंटन के बाद पावर आफ अटार्नी के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति को दुकान संचालित करने हेतु अधिकृत नहीं करेगा।
13. यह कि शपथकर्ता ने पात्रता से सम्बंधित समस्त दस्तावेज कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी जनपद..... में जमा करा दिए हैं।
14. यह कि शपथकर्ता की उपरोक्त दुकान का वर्ष 2026-27 व वर्ष 2027-28 के समस्त राजस्व को जमा कराने के लिए प्रतिबद्ध है, आबकारी नीति 2025 के नियमों के अनुकूल अवशेष राजस्व जमा नहीं कराने की परिस्थिति में दुकान का निरस्तीकरण किये जाने में उसे कोई आपत्ति नहीं है।
15. यह कि शपथकर्ता वित्तीय वर्ष 2026-27 व वर्ष 2027-28 में निर्धारित राजस्व पर दुकान संचालन हेतु सहमत है और प्रख्यापित आबकारी नीति विषयक नियमावली-2025 (त्रिवर्षीय) अधिसूचना संख्या: 176/XXIII-1/2025-04 (01)/2025 देहरादून दिनांक: 05, मार्च, 2025 के अनुपालन में पूर्ण निष्ठा से दुकान/अनुज्ञापन का संचालन करेगा और नियमों के उल्लंघन एवं राजस्व सम्बन्धित अनियमितता नहीं करेगा जिससे कि अनुज्ञापन निरस्तीकरण की स्थिति उत्पन्न हो।
16. यह कि नियमानुसार निर्धारित समयसीमा में राजस्व/एम०जी०डी०, प्रतिभूतियों को समय से जमा नहीं करने के कारण दुकान निरस्त होने की दशा में जब्त कर ली जाए।
17. यह कि शपथकर्ता संयुक्त प्रांत अधिनियम-1910 (यथा अनुकूलित एवं उपान्तरित उत्तराखण्ड राज्य) एवं सम्बन्धित नियमों, आदेशों तथा आबकारी नीति वर्ष 2025 को भली भाँति समझ लिया है। शपथकर्ता आबकारी विभाग द्वारा समय-समय पर दिए गए आदेशों/निर्देशों का पालन करेगा। शपथकर्ता वर्ष 2026-27 व वर्ष 2027-28 में फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन नियमावली का पालन करेगा और नियमावली के किसी प्राविधान का उल्लंघन पाए जाने पर उसका अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जाए।
18. यह कि शपथकर्ता वर्ष 2026-27 व वर्ष 2027-28 हेतु निर्धारित आवंटन शुल्क एवं आवेदन शुल्क (प्रोसेसिंग फीस), निर्धारित वार्षिक राजस्व की जानकारी भली-भाँति प्राप्त कर ली है तथा उक्त के सम्बन्ध में जारी अद्यतन निर्देशों का पालन करेगा।
19. यह कि शपथकर्ता अपने बैंक खाते से समस्त राजस्व जमा करेगा और भविष्य में यदि कोई त्रुटि के कारण भुगतान (यदि कोई हो तो) वह उक्त बैंक खाते में ही प्राप्त करने पर सहमत है।

20. यह कि शपथकर्ता आवंटन करने के उपरांत आवंटन की औपचारिकताओं को निर्धारित समय में पूर्ण करेगा अन्यथा की स्थिति में दुकान का आवंटन निरस्त कर दिया जाए।

उपरोक्त क्रमांक 1 से लेकर 20 तक दी गयी सूचनाएँ सही एवं सत्य है, मेरे द्वारा कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।

(जो लागू न हो, काट दिया जाये)

स्थान.....

दिनांक.....समय.....

शपथकर्ता

पब्लिक नोटेरी का नाम और मोहर

स्थान.....दिनांक.....